रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 393] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 3, 1976/अग्रहायण 12, 1898

No. 393] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 3, 1976/AGRAHAYANA 12, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 3rd December 1976

G.S.R. 906(E).—In exercise of the powers conferred by sub-item (6) of item (d) of Heading No. 84.66 (i) of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, having regard to the economic development of the country, hereby notifies "Pipeline Expansion Phase IIIA-Jorhat to Bongaigaon" as a project for the purpose of assessment under the said Heading.

[No. 444/F. No. 355/71/76-Cus. I]

M. JAYARAMAN, Under Secy.

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

अधिसूचना

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1976

सा० का० नि० 906 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के शीर्षक सं० 8466 (1) की मद (घ) की उपमद (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, देश के आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर "पाइप लाइन विस्तार तृतीय चरण (अ)—जोरहाट से बोंगेगांव" को उक्त शीर्षक के अधीन निर्धारण के प्रयोजनार्थ परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं० 444/का० सं० 355/71/76 सी शु० 1]

एम० जयरामन, अवर सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976